राज्यपाल बागडे की मौजूदगी में हुआ दीक्षांत समारोह

अचरोल स्थित अपेक्स यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की मौजूदगी में आयोजित हुआ।

अचरोल, । अपेक्स यूनिवर्सिटी के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, विशिष्ट अतिथि निरंजन पीठाधीश्वर श्रीश्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज एवं शिक्षाविद्, समाजोद्यमी और राजनेता ओडिशा के प्रो अच्युत सामंत औरअध्यक्षता कर रहे युनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉ रवि जूनीवाल द्वारा बेस्ट स्टूडेंटस को डॉ सागरमल जूनीवाल मेमोरियल अवार्ड सहित विभिन्न संकायों में 18 टॉपर्स को गोल्ड मैडल और करीब 1824 छात्र-छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपाधियां दी गईं।

इससे पूर्व अचरोल स्थितअपेक्स यूनिवर्सिटी कैंपस मेंआयोजित इस दीक्षांत समारोह में दीक्षांत परेड प्रशासनिक भवन से प्रारंभ होकर दीक्षांत स्थल तक पहुंची। समारोह का प्रारंभ राष्ट गान एवं अपेक्स यूनिवर्सिटी के कुल गीत के साथ हुआ। यूनिवर्सिटी ने अपने तृतीय दीक्षांत समारोह में अपने स्नातकों को भारतीय वेशभूषा में सुसज्जित करके दीक्षांत समारोह को संपन्न कराया। इस भव्य दीक्षांत समारोह में वैदिक धर्म, वेद, पुराण, उपनिषद और योग के ज्ञाता और भारतीय संस्कृति, परपराआ आर वादक सनातन धम का आगे बढाने में अपने असाधारण और अविस्मरणीय योगदान के लिए निरंजन पीठाधीश्वर श्रीश्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज एवं भारतीय शिक्षाविद्, समाजोद्यमी और राजनेता ओडिशा के प्रो अच्युत सामंत को समाज के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि नातक मूल्य, भारताय सस्कृात का प्रमुख आधार रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि अपेक्स विश्विद्यालय इसी दिशा में काम कर रहा है। शिक्षा जीवन भर प्राप्त करनी चाहिए। यदि कोई आंखें ना होते हुए भी उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकता है और सफलता अर्जित कर सकता है तो हम और आप सदैव ही अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय में एक ज्ञानशाला के साथ-साथ एक व्यायाम शाला भी होनी चाहिए ताकि वैचारिक और बौद्धिक क्षमता के साथ-साथ शारीरिक क्षमता भी विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की जडे बहुत गहरी है और उसे मिटाना असंभव है।

विशिष्ट अतिथि निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए धर्म, सच्चाई और सेवा भाव अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने ने कहा कि उपाधि प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अपनी उपाधि को समाज और देश के लिए काम में लाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में सेवा समर्पण और सद्भाव का उचित स्थान होना चाहिए।यही जीवन के सर्वोच्च मूल्य हैं, डिलीट की उपाधि दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे दी गई यह उपाधि संपूर्ण भारतीय संस्कृति और संतों को दी गई उपाधि है। उन्होंने नव स्नातकों से कहा कि जाति और परंपरा से ऊपर उठकर राष्ट की सेवा करें। मानव जन्म मौलिक विचार, मौलिक सिद्धांत और मौलिक आचरण को आत्मसात करने के लिए ही हुआ है।जीवन में मौलिकता का बहुत ही महत्व है। राष्ट सेवा सबसे बडी सेवा है आज के दिन संकल्प ने के राष्ट पर्यावरण और सैद्धांतिक मूल्य की रक्षा करेंगे और

सुहागिनों ने वट की पूजा-अर्चना कर पति की लंबी आयु मांगी

■ उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना

पावटा। हिन्दू धर्म में आस्था और नारी शक्ति का प्रतीक वट सावित्री व्रत सोमवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। यह पर्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए मनाया गया। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है।

इस दिन महिलाएं वट (बरगद) वृक्ष की पूजा कर व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु और महेश-का वास होता है, जिससे इसकी पूजा का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस व्रत से जुड़ी कथा सावित्री और सत्यवान की है, जिसमें सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, प्रेम और निष्ठा से यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाए थे। यह कथा भारतीय संस्कृति में नारी धर्म, साहस और अटूट विश्वास का प्रेरणास्त्रोत मानी जाती है। व्रत के दिन महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों और श्रृंगार में वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, धागा बांधती हैं और कथा सुनती हैं। सबसे खास बात यह है कि, इस बार वट सावित्री व्रत सोमवार को सोमवती अमावस्या पर रहा। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली माना जा रहा है। साथ ही, चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में संचार किया, जो शुभ संकेत है। यह पर्व महिलाओं को न केवल आध्यात्मिक बल देता है, बल्कि पारिवारिक संस्कार को भी मजबूती देता है। यह पर्व भारतीय समाज में संस्कार, परंपरा और श्रद्धा का जीवंत उदाहरण है, जो हर साल नई पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ता है।

तीये की बैठक

हमारे प्रिय
श्री बिहारीलालजी खण्डेलवाल
पुत्र स्व.श्री कन्हैया लालजी खूंटेटा का स्वर्गवास 25.05.2025 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.05.2025 (मंगलवार) को सायंकाल 5 से 6 बजे तक अणुविभा केन्द्र, मालवीय नगर में रखी गई है।

शोकाकुल- उर्मिला देवी (धर्मपत्नी), सीताराम खण्डेलवाल (बडेभ्राता), जगदीश, हरिनारायण (भ्राता), राममोहन- सोनिया, केशव- प्रतिभा, कपिल- स्वाति (पुत्र-पुत्रवधू), बीना-शशीजी बड़ाया, चन्द्रप्रभा (पुत्री-दामाद), रामबाबू, द्वारकाप्रसाद, अमित (भतीजा) एवं समस्त खूंटेटा परिवार (बूज वाले) फर्म- हरसहाय कन्हैयालाल खण्डेलवाल, फॉयसागर रोड़ (अजमेर)
मो.9828054991, 9783799991, 9413749748, 7838282557
(यह अंतिम बैठक होगी।)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

ज्ञानेंद्र श्रोत्रिय बने अध्यक्ष

टोंक। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज टोंक द्वारा आयोजित चुनाव के द्वारा विभिन्न पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, चुनाव प्रभारी ओमप्रकाश राजोरा की देखरेख में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा चुनाव संपन्न हुआ।

ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण पर जताई चिंता

शाहपुरा । उपतहसील के ग्राम किशनपुरा में सोमवार को गिरजन नदी बचाओ- जीवन बचाओ के तहत जन संवाद कार्यक्रम प्रकृति बचाओ संघर्ष समिति के कैलाश मीना के आतिथ्य व सकराय प्रशासक प्रभुदयाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं और ठामीणों ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि खनन कारोबारियों ने मिलीभगत कर गलत तथ्यों के आधार पर नदी के बहाव क्षेत्र में खनन पट्टे हथिया लिए है।

इसे नदी को खत्म कर इलाके को तबाह करने पर आमादा हैं। इसी तरह क्षेत्र की कांसावती नदी, सोता नदी, काटली नदी सहित अधिकांश जल स्त्रोत खत्म कर रहे है। इसका दुष्प्रभाव हो रहा है जिसमें आजीविका के साधन, खेती, पशुपालन खत्म चुके है। खनन कारोबारियों ने युवाओं को अपराध की ओर धकेल कर, जल संकट, भयावह प्रदूषण पैदा कर गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां उत्पन्न कर दी। जन संवाद में प्रकृति बचाओ संघर्ष समिति के कैलाश मीना ने कहा कि जंगल - पहाडों में निवास करने वाले बाशिंदों को अवैध खनन माफियाओं द्वारा परेशान किया जा रहा है, जल - जंगल - जमीन को प्रदूषित किया जा रहा है। ग्रामीणों को इसके विरोध में निष्पक्ष और निडर होकर लड़ने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में किशनपुरा और आसपास के गांवों के लोगों ने इस मुहिम में शामिल होने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच हजारी मीणा, देव सेना के पूरण भड़ाना (भोजमेड), जिला युवक कांठोस के अध्यक्ष लोकेश मीना, रमेश मीना (लुहारवास), दुर्गा प्रसाद मीना, भोलाराम मीना(किशनपुरा), हजारी गुर्जर, रामशरण गुर्जर, बोदूराम, प्रहलाद गुर्जर (बंध की ढाणी), सायर वर्मा (प्रेमपुरा), मामराज मीना, कैलाश मीना, सुभाष मीना (भगवानपुरा) गेंदाराम (दीपावास), जगदीश गुर्जर (बुजीवाला) आदि लोग मौजूद थे।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू

chaksuulb.jaipur@gmail.com

क्रमांक/न.पा.चा./2025/1404 दिनांकः 23.05.2025

भूखण्डों की ई-निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका चाकसू में पालिका की अनुमोदित आईडीएसएमटी योजना कोटखावदा मोड चाकसू के आवासीय भू-खण्ड नीचे दर्शित भू-खण्ड व साईज अनुसार निम्नांकित दिवसों में विक्रय किये जायेगे। जिसका ब्यौरा एवं नीलामी की शर्ते कार्य दिवस में कार्यालय में एवं पोर्टल पर ऑनलाईन देखी जा सकती है। उक्त निलामी निर्धारित दिनांक प्रातः 11:00 बजे से ऑनलाईन पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in में ई-ऑक्सन एप्लीकेशन (**E-Auction Application**) के माध्यम से राजस्थान नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी से आवासीय भू-खण्ड विक्रय हेतु की जायेगीं। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित दिनांक से दो दिवस पूर्व तक अमानत राशि ऑनलाईन जमा कर बोली में भाग ले सकते है। भूखण्डों की बोली ऑनलाईन निर्धारित दिनांक को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ की जाकर अंतिम बोली समाप्ति तक रखी गई हैं। भूखण्ड जिस स्थान व जिस स्थिति में होंगे उसी स्थिति में विक्रय किये जायेंगे। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का प्रकार	क्षैत्रफल (वर्गमीटर)	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर	तादाद भूखण्डों की संख्या	अमानता राशि (प्रति भूखण्ड)	बोली प्रक्रिया/आवेदन शुल्क	निलामी तिथि
1	स्कूल	शैक्षणिक	3746.02	2000	01	50,000/-	1000/-	13.06.2025

ई-निलामी सम्बन्धित समय व दिनांक का विवरण :-
ई निलामी से सम्बन्धित विवरण व शर्त वेबसाईट http://sso.rajasthan.gov.in ई-ऑक्सन एप्लीकेशन (E-Auction Application) के माध्यम से देखी जा सकती है।

निलामी दिनांक 13.06.2025 का विवरण

विवरण		दिनांक व समय
निविदा आवेदन डाउनलोड करने की तारीख		24.05.2025 (सोमवार) प्रातः 11.00 बजे से 12.06.2025 (सोमवार) तक सांय 6.00 बजे तक
ई-निविदा में भाग लेने हेतु राशि जमा कराने की तारीख		24.05.2025 (सोमवार) प्रातः 11.00 बजे से 12.06.2025 (सोमवार) तक सांय 6.00 बजे तक
ई-निविदा की तारीख		13.06.2025 (मंगलवार) को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 15.06.2025 सायं 04.00 बजे तक

निलामी शर्ते :-

1. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को प्रत्येक भूखण्ड हेतु निर्धारित अमानता पृथक-पृथक जमा होने पर बौली में भाग ले सकेगे। उक्त धरोहर (अमानत) राशि ऑनलाईन ही जमा करवाना अनिवार्य होगा।
2. यह भूमि विक्रय राज. नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 नियम से संशोधन 02 को 2010 व उनके जारी परिपत्रों के अन्तर्गत की जा रही है।
3. निलामी बोली में कॉर्नर प्लाट पर अन्तिम निलामी की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी।
4. जिस व्यक्ति के नाम अमानता राशि ऑनलाईन जमा करवाई जावेगी पालिका द्वारा उसी व्यक्ति के नाम का पट्टा जारी किया जावेगा। नाम में किसी प्रकार का संशोधन नही किया जावेगा।
5. उच्चतम बोली लगाने वाले को निलामी कि दिनांक से तीन कार्य दिवस के भीतर अपनी बोली का 15 प्रतिशत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा
6. सफल बोलीदाता द्वारा बोली की रकम 35 प्रतिशत भाग निलामी दिनांक से 120 दिवस के अन्तर्गत जमा कराना आवश्यक होगा। तथा शेष 50 प्रतिशत राशि निलामी दिनांक से 180 दिवस के अन्तर्गत जमा करना आवश्यक होगा। असफल रहने पर बोली स्वीकार करने की तिथि से मूल राशि पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा। सफल बोलीदाता द्वारा डिमाण्ड की दिनांक से 15 दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा कराने पर 01 प्रतिशत राशि की छूट देय होगी।
7. भूखण्ड 99 वर्ष लीज होल्ड पर अरबन सेटलमेन्ट ग्राउण्ड रेट के आधार पर विक्रय किया जावेगा जिसकी लीज राशि आवासीय आरक्षित दर की 2.50 प्रतिशत नियमानुसार केता द्वारा जमा करानी होगी।
8. लीज डीड शाश्वत लीज पत्र का विधिवत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा जिसकी स्टाम्प व नक्शा एवं रजिस्ट्री का व्यय भू-खण्ड केता का होगा।
9. बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चाकसू के पास सुरक्षित रहेगा जिसका कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
10. 03 वर्ष की अवधि के अन्दर नियमों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकृत करवाकर केता को भवन निर्माण करवाना होगा। यदि 03 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करवाया गया तो जमा करायी गई सम्पूर्ण राशि को पालिका द्वारा जब्त कर लिया जावेगा तथा पालिका द्वारा राशि जब्त कर भूखण्ड को निरस्त कर अपने कब्जे मे ले लिया जायेगा तथा पुनः निलाम कर दिया जावेगा।
11. भूमि के मानचित्र एवं शर्ते/प्रतिबन्ध व समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सूचना पट्ट पर देखी जा सकेगी।
12. उपरोक्त भूखण्डों का मौके पर क्षेत्रफल कम या ज्यादा होगा तो उसके आधार पर ही राशि जमा करानी होगी।
13. समयावधि घटाने-बढाने का अधिकार निलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. बोली बढाने की राशि कम से कम 100/-रूपये रहेगी। इससे कम बोली की राशि बढाने पर मान्य नहीं होगी।

राज.संवाद/सी/24/2977 अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-00/2025 डी-1721 दि. : 19.05.2025
निजी खातेदारी की योजना पिंकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 202 क्षेत्रफल 311.11 व.ग. की लीजडीड दिनांक 29.10.2010 को श्रीमती अन्जू तोमर पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2010 को श्रीमती अन्जू तोमर पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर द्वारा श्रीमती शिखा गुप्ता पत्नी श्री सौरभ गुप्ता के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2022 को श्रीमती शिखा गुप्ता पत्नी श्री सौरभ गुप्ता द्वारा कुल क्षेत्रफल 311.11 व.ग. में से उत्तरी हिस्सा 155.55 व.ग. श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री दामोदर प्रसाद शर्मा को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 25.06.2024 को श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री दामोदर प्रसाद शर्मा द्वारा श्रीमती इंदु जैन पत्नी श्री अरूण कुमार गोदीका एवं श्रीमती धीरा गोदीका पत्नी श्री क्षितिज गोदीका को कर दिया गया। आवेदकों द्वारा उपविभाजन एवं लीजडीड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रार्थीयो को निजी खातेदारी की योजना पिंकसिटी एनक्लेव को भूखण्ड संख्या 202 क्षेत्रफल 311.11 व.ग. का उपविभाजन एवं लीजडीड से फ्रीहोल्ड लीजडीड जारी किये जाने के सम्बंध में कार्यवाही की जानी है। इस सम्बंध में किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अधीन प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त भूखण्ड का उपविभाजन एवं लीजडीड से फ्रीहोल्ड लीजडीड जारी किये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-09 जविप्रा, जयपुर

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-00/2025 डी-1722 दि. : 19.05.2025
निजी खातेदारी की योजना पिंकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 202 क्षेत्रफल 311.11 व.ग. की लीजडीड दिनांक 29.10.2010 को श्रीमती अन्जू तोमर पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2010 को श्रीमती अन्जू तोमर पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर द्वारा श्रीमती शिखा गुप्ता पत्नी श्री सौरभ गुप्ता के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.06.2022 को श्रीमती शिखा गुप्ता पत्नी श्री सौरभ गुप्ता द्वारा कुल क्षेत्रफल 311.11 व.ग. में से दक्षिण हिस्सा 155.55 व.ग. श्री अरूण कुमार गोदीका पुत्री श्री के.सी. गोदीका एवं श्रीमती धीरा गोदीका पत्नी श्री क्षितिज गोदीका को कर दिया गया। आवेदकों द्वारा उपविभाजन एवं लीजडीड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। अत प्रार्थियों को निजी खातेदारी की योजना पिंकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 202 क्षेत्रफल 311.11 व.ग. का उपविभाजन एवं लीजडीड से फ्रीहोल्ड लीजडीड जारी किये जाने के सम्बंध में कार्यवाही की जानी है। इस सम्बंध में किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अधीन प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त भूखण्ड का उपविभाजन एवं लीजडीड से फ्रीहोल्ड लीजडीड जारी किये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-09 जविप्रा, जयपुर

कार्यालय पंचायत समिति मासलपुर जिला करौली

कमांक :- पंसमा./ लेखा/निविदा/2025-26/134-137 दिनांक : 20/05/2025

ई-/निविदा सूचना संख्या 11 (वित्तीय वर्ष 2025-26)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायत समिति मासलपुर की अधीनस्थ 18 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत के समस्त गांवो के घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की दर अनुमोदन हेतु संविदा वाणिज्यिक कर विभागों जीएसटी अधिनियम 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों की ई-प्रोक्यूरमेंट पद्धति से ऑन लाईन निविदाएँ ग्राम पंचायत स्तर से आमन्त्रित की जाती है। निम्नांकित कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी। निविदा फार्म / शर्तें ऑनलाईन / कार्यालय में उपलब्ध है।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	बोली का विवरण	अनुमानित लागत राशि (रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	M.D.RISL शुल्क (रूपये में)	बोली प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड शुरू करने की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चैनपुर गाधौली	ग्राम पंचायत के समस्त गांवों में घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सडक एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य	365130	2 प्रतिशत (प्रति ग्राम पंचायत	रूपये 500 (प्रति ग्राम पंचायत	रूपये 500 (प्रति ग्राम पंचायत	21/5/2025 सायं 5 बजे	2/6/2025 दोपहर 12.00 बजे तक	2/6/2025 दोपहर 2.00 बजे
2	लैदोरकला		1959670						
3	फतेहपुर		270970						
4	कंचनपुर		264950						
5	डांडा		263520						
6	डुकावली		277400						
7	जमूरा		312810						
8	पिपरानी		660130						
9	खूण्डा		248250						
10	रूधपुरा		209690						
11	मासलपुर		628340						
12	भावली		378930						
13	गुवरेवा		253080						
14	रतियापुरा		366625						
15	कोटा छाबर		401100						
16	सीलोती		647970						
17	खेडिया		672470						
18	नरायणा		267840						

1. निविदा प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://www.eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि के मूल डी.डी./बैंकर चैक की प्रति ऑनलाईन तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर अपलोड करनी होगी। साथ ही निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक निविदा खोलने की दिनांक 02.06.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करानी होगी।
2. निविदा आमंत्रण की विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज पंचायत समिति कार्यालय से व्यक्तिशः अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क संबंधित ग्राम पंचायत के नाम व अमानत राशि का डी.डी./ बैंकर चैक संबंधित ग्राम पंचायत्त के नाम देय होगा एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डी.डी. / बैंकर चैक M.D.RISL, Jaipur के नाम देय होगा।
4. निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं प्रतिभूति राशि दस्तावेजो को भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने वाले निविदादाताओं की ही तकनीकी निविदा संबंधित सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय पंचायत समिति मासलपुर में उपापन समिति के समक्ष खोली जावेगी।
5. तकनीकी-वाणिज्यिक / क्वालिफाईड बिड दिनांक 02.06.2025 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय पंचायत समिति मासलपुर में उपस्थित बोलीदाता / संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।
6. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

UBN:- ZKR2526SLRC00124, NIB: ZKR2526A0095

(मोहनलाल शर्मा, RRDS)
विकास अधिकारी पंचायत समिति मासलपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-3272 दिनांक-26/05/25

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या S-28 TYPE-D (NRI), (एरिया 750.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री शोभित मेहरौत्रा पुत्र श्री किशोरी लाल मेहरौत्रा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 04.02.2008 को जारी किया गया। श्री शोभित मेहरौत्रा द्वारा श्री प्रीतम खन्ना पुत्र स्व. श्री विष्णु राम खन्ना को दिनांक 04.04.2008 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री प्रीतम खन्ना के द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से श्री शोभित मेहरौत्रा के पक्ष मे पंजीयन प्रपत्र उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहाँ दिनांक 14.10.2009 को पंजीकृत करवाये गये। श्री प्रीतम खन्ना द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 14.10.2009 के द्वारा श्री दीपक खन्ना पुत्र श्री प्रीतम खन्ना को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केती श्री दीपक खन्ना पुत्र श्री प्रीतम खन्ना द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री दीपक खन्ना पुत्र श्री प्रीतम खन्ना का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-3320 दिनांक-26/05/25

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 266/164 (MIG-A) (एरिया 134.16 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 4076 दिनांक 14.10.2009 को जारी किया गया। श्री ओम प्रकाश गुप्ता के पक्ष मे उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 12.10.2011 को उप पंजीयक जयपुर-षष्ठम के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा श्री जय कुमार पुत्र श्री श्यामू मल को दिनांक 24.12.2009 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री जय कुमार द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 13.12.2011 के द्वारा श्री कपिल देव पुत्र श्री कस्तूर चन्द को विक्रय कर उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्री कपिल देव पुत्र श्री कस्तूर चन्द द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास के रिकॉर्ड मे अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री कपिल देव पुत्र श्री कस्तूर चन्द का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए समन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय झुन्झुनू राजेन्द्र बनाम दिलीप सिंह वगै.
दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 552/24

प्रेषित :-
सम्पत कवंर पुत्री रिछपाल, जाति राजपूत, निवासी लीला की ढाणी तन हुकुमपुरा, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू (राज.)
वादी राजेन्द्र ने आपके विरूद्ध दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद के लिए संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 28/5/25 को दिन के 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतीक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है, पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हों, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टी करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख 26.05.25 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
न्यायाधीश
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

खोया पाया

Missing Original Documents Viz Allotment Letter Payment Receipt Possession Letter Site Plan And Other Documents of Shop No. 13/SC/19 Sector 13 Indira Gandhi Nagar Jaipur. In The Name Of